

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

मांग संख्या 83

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	14509.66	2555.50	17065.16	10691.63	3278.31	13969.94	10681.63	3089.35	13770.98	13094.63	3385.12	16479.75	
पूँजी	<b>3638.69</b>	1832.73	5471.42	15168.28	2163.92	17332.20	14768.28	1799.27	16567.55	12698.37	2079.08	14777.45	
जोड़	<b>18148.35</b>	<b>4388.23</b>	<b>22536.58</b>	<b>25859.91</b>	<b>5442.23</b>	<b>31302.14</b>	<b>25449.91</b>	<b>4888.62</b>	<b>30338.53</b>	<b>25793.00</b>	<b>5464.20</b>	<b>31257.20</b>	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	64.26	64.26	...	71.13	71.13	...	69.19	69.19	...	76.19	76.19
2. बीआरडीबी सचिवालय	3451	...	317.89	317.89	...	412.88	412.88	...	329.24	329.24	...	407.05	407.05
<b>सड़क परिवहन</b>													
3. प्रशिक्षण और अनुसंधान	3055	136.27	...	136.27	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	150.00	...	150.00
4. सड़कें और पुल													
4.01 राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव	3054	...	1475.38	1475.38	...	1997.39	1997.39	...	1996.22	1996.22	...	2100.00	2100.00
4.02 राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूँजी परिव्यय	5054	8798.61	...	8798.61	7485.83	...	7485.83	7135.83	...	7135.83	6570.56	...	6570.56
4.02.01 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	5054	-5593.14	...	-5593.14	-3024.50	...	-3024.50	-3024.50	...	-3024.50	-4500.00	...	-4500.00
4.02.02 ईएपी संघटक	5054	...	...	...	49.50	...	49.50	49.50	...	49.50	750.00	...	750.00
कुल	3205.47	...	3205.47	4510.83	...	4510.83	4160.83	...	4160.83	2820.56	...	2820.56	
4.03 राष्ट्रीय राजमार्ग न्यायाधिकरण एवं राजमार्ग प्रशासन	3054	...	0.13	0.13	...	3.50	3.50	...	1.00	1.00	...	3.50	3.50
जोड़- सड़कें और पुल	3205.47	1475.51	4680.98	4510.83	2000.89	6511.72	4160.83	1997.22	6158.05	2820.56	2103.50	4924.06	
5. बीआरडीबी द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य													
5.01 बीआरडीबी के तहत निर्माण कार्य	5054	442.73	1832.73	2275.46	500.00	2163.92	2663.92	450.00	1799.27	2249.27	400.00	2079.08	2479.08
5.02 अन्य निर्माण कार्य	3054	...	624.70	624.70	...	723.20	723.20	...	633.49	633.49	...	737.36	737.36
जोड़- बीआरडीबी द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य	442.73	2457.43	2900.16	500.00	2887.12	3387.12	450.00	2432.76	2882.76	400.00	2816.44	3216.44	
6. महत्वपूर्ण सड़कों के लिए राज्यों को अनुदान	3601	73.48	...	73.48	70.00	...	70.00	60.00	...	60.00	50.00	...	50.00
7. केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित योजनाएं													
7.01 राज्यों को अनुदान													
7.01.01 राज्यों को अनुदान	3601	2266.75	...	2266.75	2267.00	...	2267.00	2567.00	...	2567.00	2607.06	...	2607.06
7.01.02 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3601	-2266.75	...	-2266.75	-2267.00	...	-2267.00	-2567.00	...	-2567.00	-2607.06	...	-2607.06
7.01.03 अन्तरराज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए	3601	242.57	...	242.57	243.86	...	243.86	243.86	...	243.86	292.63	...	292.63

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
अनुदान													
7.01.04 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3601	-242.57	...	-242.57	-243.86	...	-243.86	-243.86	...	-243.86	-292.63	...	-292.63
कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7.02 विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अनुदान													
7.02.01 राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली	3602	68.39	...	68.39	68.39	...	68.39	368.39	...	368.39	22.20	...	22.20
7.02.02 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3602	-68.39	...	-68.39	-68.39	...	-68.39	-368.39	...	-368.39	-22.20	...	-22.20
7.02.03 पुदुचेरी	3602	10.72	...	10.72	10.72	...	10.72	22.22	...	22.22	4.23	...	4.23
7.02.04 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3602	-10.72	...	-10.72	-10.72	...	-10.72	-22.22	...	-22.22	-4.23	...	-4.23
कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7.03 अन्तरराज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान													
7.03.01 अन्तरराज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	3602	1.00	...	1.00	18.36	...	18.36	18.36	...	18.36	1.00	...	1.00
7.03.02 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3602	-1.00	...	-1.00	-18.36	...	-18.36	-18.36	...	-18.36	-1.00	...	-1.00
कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7.04 विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान													
7.04.01 अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	3054	...	...	...	4.61	...	4.61	4.61	...	4.61	5.55	...	5.55
7.04.02 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3054	...	...	...	-4.61	...	-4.61	-4.61	...	-4.61	-5.55	...	-5.55
7.04.03 चण्डीगढ़	3054	4.51	...	4.51	4.95	...	4.95	4.95	...	4.95	2.11	...	2.11
7.04.04 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3054	-4.51	...	-4.51	-4.95	...	-4.95	-4.95	...	-4.95	-2.11	...	-2.11
7.04.05 दादरा और नागर हवेली	3054	...	...	...	2.32	...	2.32	2.32	...	2.32	1.06	...	1.06
7.04.06 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3054	...	...	...	-2.32	...	-2.32	-2.32	...	-2.32	-1.06	...	-1.06
7.04.07 लक्षद्वीप	3054	...	...	...	0.17	...	0.17	0.17	...	0.17	...	...	...
7.04.08 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3054	...	...	...	-0.17	...	-0.17	-0.17	...	-0.17	...	...	...
7.04.09 दमन और दीव	3054	...	...	...	1.75	...	1.75	1.75	...	1.75	0.79	...	0.79
7.04.10 केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	3054	...	...	...	-1.75	...	-1.75	-1.75	...	-1.75	-0.79	...	-0.79
कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित योजनाएं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
<b>अन्य परिवहन सेवाएं</b>														
8.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	5054	7780.00	...	7780.00	11627.45	...	11627.45	11627.45	...	11627.45	11925.81	...	11925.81
8.01	केन्द्रीय सड़क निधि से पूरा किया गया	5054	-6003.00	...	-6003.00	-6857.45	...	-6857.45	-6857.45	...	-6857.45	-6477.81	...	-6477.81
8.02	राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से पूरा किया गया	5054	-1777.00	...	-1777.00	-4770.00	...	-4770.00	-4770.00	...	-4770.00	-5448.00	...	-5448.00
8.03	ईएपी ऋण	7075	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	<i>जोड़- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण</i>		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9.	<i>अन्य व्यय</i>													
9.01	विकास और योजना	3054	0.83	...	0.83	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
<b>जोड़-अन्य परिवहन सेवाएं</b>			<b>0.83</b>	...	<b>0.83</b>	<b>5.00</b>	...	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	...	<b>5.00</b>	<b>10.00</b>	...	<b>10.00</b>
10.	<i>केन्द्रीय सड़क निधि - अंतरण</i>													
10.01	राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	3054	10144.17	...	10144.17	3286.72	...	3286.72	3286.72	...	3286.72	4793.63	...	4793.63
10.02	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हेतु	5054	...	...	...	6857.45	...	6857.45	6857.45	...	6857.45	6477.81	...	6477.81
10.03	राज्यों को अनुदान	3054	2267.00	...	2267.00	2267.00	...	2267.00	2267.00	...	2267.00	2607.06	...	2607.06
10.04	विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र													
10.04.01	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3054	68.39	...	68.39	68.39	...	68.39	68.39	...	68.39	22.20	...	22.20
10.04.02	पुदुचेरी	3054	10.72	...	10.72	10.72	...	10.72	10.72	...	10.72	4.23	...	4.23
	<i>जोड़- विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र</i>		<i>79.11</i>	...	<i>79.11</i>	<i>79.11</i>	...	<i>79.11</i>	<i>79.11</i>	...	<i>79.11</i>	<i>26.43</i>	...	<i>26.43</i>
10.05	विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र													
10.05.01	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	3054	4.61	...	4.61	4.61	...	4.61	4.61	...	4.61	5.55	...	5.55
10.05.02	चण्डीगढ़	3054	4.95	...	4.95	4.95	...	4.95	4.95	...	4.95	2.11	...	2.11
10.05.03	दादरा और नागर हवेली	3054	2.32	...	2.32	2.32	...	2.32	2.32	...	2.32	1.06	...	1.06
10.05.04	लक्षदीप	3054	0.17	...	0.17	0.17	...	0.17	0.17	...	0.17	...	...	...
10.05.05	दमन और दीव	3054	1.75	...	1.75	1.75	...	1.75	1.75	...	1.75	0.79	...	0.79
	<i>जोड़- विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र</i>		<i>13.80</i>	...	<i>13.80</i>	<i>13.80</i>	...	<i>13.80</i>	<i>13.80</i>	...	<i>13.80</i>	<i>9.51</i>	...	<i>9.51</i>
	<i>जोड़- केन्द्रीय सड़क निधि - अंतरण</i>		<i>12504.08</i>	...	<i>12504.08</i>	<i>12504.08</i>	...	<i>12504.08</i>	<i>12504.08</i>	...	<i>12504.08</i>	<i>13914.44</i>	...	<i>13914.44</i>
11.	राज्यों को देय पुल शुल्क निधि के संग्रहण की लागत	3054	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	...	...
11.01	घटाइए-वसूलियां	3054	...	...	...	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	...	...
	<i>कुल</i>		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.	राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्त पोषित योजनाएं	5054	105.96	...	105.96	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00
12.01	घटाइए-वसूलियां	5054	-105.96	...	-105.96	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00	-150.00	...	-150.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
13. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि -अंतरण													
13.01 पुलों पर चुंगी	3054	1777.00	73.14	1850.14	...	70.21	70.21	...	60.21	60.21	...	61.02	61.02
13.02 एनएचएआई द्वारा संग्रहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर चुंगी	3054	...	...	...	4770.00	...	4770.00	4770.00	...	4770.00	5448.00	...	5448.00
जोड़- राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि -अंतरण		1777.00	73.14	1850.14	4770.00	70.21	4840.21	4770.00	60.21	4830.21	5448.00	61.02	5509.02
14. आर्थिक महत्व की सड़कों का विकास, चौड़ा करना एवं अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी	3601	18.00	...	18.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	4552	...	...	...	3300.00	...	3300.00	3300.00	...	3300.00	3000.00	...	3000.00
16. वास्तविक वसूलियां	5054	-9.51	...	-9.51	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>		<b>18148.35</b>	<b>4388.23</b>	<b>22536.58</b>	<b>25859.91</b>	<b>5442.23</b>	<b>31302.14</b>	<b>25449.91</b>	<b>4888.62</b>	<b>30338.53</b>	<b>25793.00</b>	<b>5464.20</b>	<b>31257.20</b>
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
<b>ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>													
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण													
8. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	13054	7780.00	2902.06	10682.06	11627.45	14000.00	25627.45	11627.45	8000.00	19627.45	11925.81	9000.00	20925.81
जोड़-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण		<b>7780.00</b>	<b>2902.06</b>	<b>10682.06</b>	<b>11627.45</b>	<b>14000.00</b>	<b>25627.45</b>	<b>11627.45</b>	<b>8000.00</b>	<b>19627.45</b>	<b>11925.81</b>	<b>9000.00</b>	<b>20925.81</b>
जोड़		<b>7780.00</b>	<b>2902.06</b>	<b>10682.06</b>	<b>11627.45</b>	<b>14000.00</b>	<b>25627.45</b>	<b>11627.45</b>	<b>8000.00</b>	<b>19627.45</b>	<b>11925.81</b>	<b>9000.00</b>	<b>20925.81</b>
<b>ग. योजना परिव्यय</b>													
<b>केन्द्रीय योजना:</b>													
1. सड़क एवं पुल	13054	15797.98	2902.06	18700.04	20200.00	14000.00	34200.00	19178.50	8000.00	27178.50	20150.00	9000.00	29150.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	3300.00	...	3300.00	3300.00	...	3300.00	3000.00	...	3000.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना		<b>15797.98</b>	<b>2902.06</b>	<b>18700.04</b>	<b>23500.00</b>	<b>14000.00</b>	<b>37500.00</b>	<b>22478.50</b>	<b>8000.00</b>	<b>30478.50</b>	<b>23150.00</b>	<b>9000.00</b>	<b>32150.00</b>
<b>राज्य योजना:</b>													
1. सड़क एवं पुल	43601	2266.75	...	2266.75	2267.00	...	2267.00	2567.00	...	2567.00	2607.06	...	2607.06
जोड़ - राज्य योजना		<b>2266.75</b>	<b>...</b>	<b>2266.75</b>	<b>2267.00</b>	<b>...</b>	<b>2267.00</b>	<b>2567.00</b>	<b>...</b>	<b>2567.00</b>	<b>2607.06</b>	<b>...</b>	<b>2607.06</b>
<b>संघ राज्य क्षेत्र योजना :</b>													
<b>संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)</b>													
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	43602	68.39	...	68.39	68.39	...	68.39	368.39	...	368.39	22.20	...	22.20
2. पुदुचेरी	43602	10.72	...	10.72	10.72	...	10.72	22.22	...	22.22	4.23	...	4.23
<b>संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के बिना)</b>													

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	43602	...	...	...	4.61	...	4.61	4.61	...	4.61	5.55	...	5.55
2. चंडीगढ़	43602	4.51	...	4.51	4.95	...	4.95	4.95	...	4.95	2.11	...	2.11
3. दादरा और नगर हवेली	43602	...	...	...	2.32	...	2.32	2.32	...	2.32	1.06	...	1.06
4. लक्षद्वीप	43602	...	...	...	0.17	...	0.17	0.17	...	0.17	...	...	...
5. दमन और दीव	43602	...	...	...	1.75	...	1.75	1.75	...	1.75	0.79	...	0.79
<b>जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना</b>		<b>83.62</b>	...	<b>83.62</b>	<b>92.91</b>	...	<b>92.91</b>	<b>404.41</b>	...	<b>404.41</b>	<b>35.94</b>	...	<b>35.94</b>
<b>जोड़</b>		<b>18148.35</b>	<b>2902.06</b>	<b>21050.41</b>	<b>25859.91</b>	<b>14000.00</b>	<b>39859.91</b>	<b>25449.91</b>	<b>8000.00</b>	<b>33449.91</b>	<b>25793.00</b>	<b>9000.00</b>	<b>34793.00</b>

1. यह व्यवस्था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. यह व्यवस्था सीमा सड़क विकास बोर्ड के सचिवालय व्यय के लिए है।

3. यह व्यवस्था मुख्यतः अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, परिवहन उद्योग पर अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर एवं सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों, दुर्घटनाओं की स्थिति में पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए है। इसमें पीड़ितों के लिए प्राथमिक उपचार तथा यातायात की बहाली हेतु क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाना, राष्ट्रीय आंकड़ा आधार नेटवर्क का विकास, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का सृजन, सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना आदि भी शामिल है।

4.01. यह व्यवस्था मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव पर व्यय हेतु की गई है। ये निर्माण कार्य राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा एजेंसी आधार पर तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड के सामान्य आरक्षित इंजीनियरी बल द्वारा भी पूरे किए जाते हैं।

4.02. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राजमार्गों को दो लेन का बनाए जाने और स्वर्णिम चतुर्भुज के भीड़-भाड़ वाले खंडों को छ. लेन का बनाए जाने के साथ-साथ एक्सप्रेस मार्गों से संबंधित परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर होने वाला व्यय इस प्रावधान में शामिल है। साथ ही मुंगेर में रेल-सह सड़क पुल, गुजरात में दांडी परियोजना, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम और विजयवाड़ा-रांची सड़क के विकास हेतु प्रावधान भी इसमें शामिल हैं। ये कार्य, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लोक निर्माण विभागों द्वारा एजेंसी आधार पर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। इस प्रावधान में सड़क स्कंध के अंतर्गत बाह्य-सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए परिव्यय और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास संबंधी जनजातीय उप-आयोजना के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

4.03. यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग न्यायाधिकरणों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर व्यय, उनके कार्यालयों के प्रबंध पर व्यय के लिए एवं राज्य सरकार को जनशक्ति की लागत तथा राजमार्ग प्रशासन की स्टाफ व्यवस्था के संबंध में अन्य अनुषंगी लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए है।

5&6. इन प्रावधानों में सीमा सड़क विकास बोर्ड (बी.आर.डी.बी.) द्वारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कतिपय सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण के लिए राज्यों को दी जाने वाली अनुदान सहायता शामिल है। साथ ही बी.आर.डी.बी. को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षेत्रों के विकास के लिए भी व्यय की व्यवस्था है।

7. यह प्रावधान विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों की अनुमोदित योजनाओं के वित्तपोषण के लिए तथा अंतर राज्यीय और/या आर्थिक महत्व की चुनिंदा सड़कों के विकास के लिए है ताकि बेहतर सड़क अवसरचना को संवर्धित किया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सड़क निधि से निधियां जारी की जाती हैं।

8. इस प्रावधान में संगठन को निष्पादन के लिए सौंपी गई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिया गया निवेश शामिल है। परियोजनाओं का वित्तपोषण केन्द्रीय सड़क निधि और राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि और 20% विदेशी ऋणों से किया जाता है।

9. इसमें अनुसंधान एवं विकास तथा सड़क विकास संबंधी आयोजना अध्ययनों तथा भारतीय सड़क कांग्रेस और अन्य संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, सेमिनारों पर होने वाला व्यय शामिल है।

10. केन्द्रीय सड़क निधि का दिसंबर, 2000 में अधिनियमित केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम 2000 के तहत पुनर्गठन किया गया था। मोटर स्पिरिट और हार्ड स्पीड डीजल (एचएसडी) पर संग्रहित उपकर का एक भाग राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के विकास के लिए अलग रखा जाता है जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क शामिल है और इस प्रावधान के द्वारा व्यपगत न होने वाली केन्द्रीय सड़क निधि को राशि अंतरित की जाती है। यह राशि अंततः देश में सड़क अवसरचना के विकास के लिए एन एच ए आई और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को जारी की जाती है।

11,12&13. यह अनुमान राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि, के अधीन किए गए लेन-देनों से संबंधित है। इस प्रावधान में यंत्रचालित वाहनों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर कतिपय स्थायी पुलों के प्रयोग के लिए लगाये गये शुल्क, राष्ट्रीय राजमार्ग पर चुंगी एवं राजस्व भाग तथा बीओटी परियोजनाओं पर प्राप्त ऋणात्मक अनुदानों के रूप में सरकार द्वारा संग्रहित

राजस्व शामिल हैं। निधि का उपयोग सरकार द्वारा किए जाने वाले और एन एच ए आई को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यों के लिए होता है। इसमें शुल्कों की संग्रहण लागत के प्रति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए जाने वाले भुगतान भी शामिल है।

15. यह प्रावधान ट्रांस-अरूणाचल राजमार्ग और कलादान मल्टी मोडल परिवहन परियोजना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में अन्य सड़क विकास परियोजनाओं सहित विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए है।